

<p>नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संगठन) बी-15, इन्स्टिट्यूशनल एरिया सेक्टर-62 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201307</p>		<p>NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (An Autonomous Organisation Under Ministry of HRD) Dept. of School Education & Literacy Govt. of India B-15, Institutional Area Sector-62 Noida Distt. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh -201307.</p>
---	---	--


F.No. 1-6/नविस/सी.पी.एफ./वित्त/ब्याज/17-18/134

दिनांक:- 02.11.2017

विषय:- अंशदयी भविष्य निधि के खातों पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प पत्रांक 5(1)-बी (पी.डी.)/2017 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा घोषित संशोधित ब्याज दर, लागू किये जाने के संबंध में ।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्रांक 5(1)-बी (पी.डी.)/2017 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 की प्रति जो संलग्न है, का कृपया संदर्भ लें इसके द्वारा अंशदयी भविष्य निधि के खातों पर दिये जाने वाले ब्याज दर (अवधि 01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के लिए) 7.8 प्रतिशत घोषित किया गया है ।

समिति के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, नवोदय नेतृत्व संस्थानों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे समस्त अंशदयी भविष्य निधि खातों पर दिये जाने वाले ब्याज दर, जो वर्तमान में 7.8 प्रतिशत है, को संशोधित कर 7.8 प्रतिशत (अवधि 01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के लिए) मानें व तदनुरूप लागू करें ।


(सतीश भट्ट)
सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)

प्रति निम्नांकित को आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित:-

1. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
2. उपायुक्त (प्रशासन) नविस मुख्यालय नोएडा ।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नविस मुख्यालय नोएडा ।
4. वैब मास्टर, नविस मुख्यालय नोएडा ।


सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)

(PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.NO. 5(1)-B(PD)/2017
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 23rd October, 2017

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2017-2018, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.8% (Seven point eight per cent) w.e.f. 1st October, 2017 to 31st December, 2017. This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2017. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.


(Anjana Vashishtha)
Deputy Secretary (Budget)

To,


The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Faridabad.

F.No.5(1)-B(PD)/2017

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to:—

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost.


(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनाथ)

एफ. संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2017
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

संकल्प

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2017-2018 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 7.8% (सात दशमलव आठ प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2017 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।


(अंजना वशिष्ठ)
उप-सचिव (बजट)

सेवा में,

प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

फा.संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2017

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी वेबहोस्ट हेतु।


(ए.के. भटनागर)
अवर सचिव (बजट)